GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: PRIVATE SCHOOL BRANCH (PSB)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054.

F.DE.15(379)/PSB/EWS/2nd Onwards/2025/ 8250- 8258 **Dated:** 10/09/25

CIRCULAR

Sub: Guidelines for admission under EWS/Freeship category in classes from 2nd onwards against available seats in Private Unaided Recognized Schools of Delhi (except minority) running on land allotted by DDA/Govt. allotted land for the academic session 2025-26.

1. As per clause 3 for sub-caluse (a) of Notification No.F.15(172)/DE/Act-I/2010/20109-20123 dated 30/12/2013, Private Recognized Unaided Schools situated on land allotted by the Government shall also admit children from Economically Weaker Section in neighbourhood to the extent of 20% in all fresh admissions made in other classes above the entry level (Pre-school/ Nursery, Pre- Primary/K.G. and Class-I) in the same manner as provided in this Diretorate's Notification No. 15/(172)/DE/ACT/2010/69 dated 07/01/2011.

2. In WPC No. 4607 titled as "Justice for all Vs Directorate of education, GNCTD Hon'ble High Court of Delhi has observed that seats available under EWS category in the classes from 2nd onwards will be filled and department has also given its consent to develop a mechanism to fill vacant seats of EWS category in the classes 2nd onwards through online admission process.

3. In compliance of this Directorate's Notification dated 23/07/2018, DoE is facilitating admissions under EWS/Freeship category by receiving of applications through online module and selection by computerized draw of lots for classes from 2nd onwards against available seats in the Private Unaided Recognized Schools running on Government land, for the academic session 2025-26. **The applicant may access the Directorate's website i.e. www.edudel.nic.in and click on "EWS/Free-ship admission" link on home page for applying online.**

4. The Tentative schedule and Instruction for the said online admission process is as follows: -

SCHEDULE FOR ADMISSION PROCESS

Opening of online Module for filling online application by the EWS/Freeship category applicants.	**11/09/2025 (Thursday)**
Last date of submission of online application by the EWS/Freeship category applicants.	**22/09/2025 (Monday)**
Date of computerized draw of lots for EWS/Freeship category.	**24/09/2025 (Wednesday)**

5. Further below are the Important instructions/guidelines to be followed before submission of online application form:

a. Only a single registration can be done by using one Mobile Number. All communication related to application/admission process will be made only through that phone number.

b. Only a single application shall be filed for a child by an applicant for online admission process. Multiple/Duplicate applications, if found at any stage, shall be liable to cancellation of candidature/admission of the child, even after succeeding in the draw of lots for admission. Also, in accordance to circular dated 04.10.2023 issued by Director (Education), it is mandatory to submit Aadhaar No. of Parents/Legal Guardian for applying for the admission in classes 2nd onwards under EWS/freeship in Private Unaided Recognized Schools of Delhi to avoid duplicity of applications. However, the Aadhaar No. of child is not mandatory for applying online for admission under EWS/freeship category.

c. A child can avail only one-time benefit for admission at entry level under EWS/DG/CWSN category or admission from class 2nd onwards under EWS/Freeship scheme in Private Unaided Recognized Schools (except Minority schools) vide order No DE. 15(1025)/PSB/2023/Pt file/7706-7711 dated 01.09.23. A child already admitted under EWS category cannot apply again for admission under EWS category in Private Unaided Recognized Schools.

d. Option of correction in details of student/applicant is only available with applicant/parent till the last date of filling the online application form as mentioned above in the circular. Parents must ensure that the details in application form are correct before final submission of online application form. In case, if parents want to change/correct any information then they may delete the application form and can resubmit with the correct details.

e. **Economic Weaker Section (EWS)**: - "Income certificate (total annual income of less than 5 lakh rupees from all sources) must be issued by the Revenue Department of GNCT of Delhi". Date of Issue of Income certificate or application/receipt for issue of income certificate must be before the last date of applying for online admission process. Ration Card/ Food Security Card Holder issued from GNCT of Delhi are eligible under Economic Weaker Section for applying in these Private Unaided Recognized Schools for admission of their ward under Economically Weaker Section Category.

f. Any person residing in Delhi, having the residence proof of Delhi and requisite Income Certificate issued by the Revenue Department of GNCT of Delhi, Ration Card/ Food Security Card Holder issued from GNCT of Delhi are eligible for applying in these Private Unaided Recognized Schools for admission of their ward under Economically Weaker Section Category.

g. In addition to the above-mentioned detailed guidelines, it is clarified that, Private Unaided Recognized Schools are allotted through computerized draw of lots from the choices of school filled online by the parents with respect to the specific residential address. However, if there is any deviation found in documents of residential address at the time of the admission from the residential address filled online, the school allotment shall stand cancelled.

h. Residential address is main criteria for allotment of seat through computerized draw. However, it has been observed that Parents/Guardian manipulate by opting wrong Locality/Sub-Locality/Sub-Sub-Locality deliberately in order to get admission in a preferred school. Therefore, necessary amendment/changes have been done in online registration form in respect of filling details regarding Residential Address (i.e., Locality/Sub-Locality/Sub-Sub-Locality), which is as under: -

Residential Address	
Locality	Area
Sub-Locality	Village/Colony/Apartment/Sector/Pocket/Block/Gali etc.
Sub-Sub Locality	

If it is found at any stage that wrong information regarding residential address of a child is filled in order to get admission in a preferred school, then application of the child will be liable for cancellation.

i. The admission/allotment of the child shall be cancelled in case the documents submitted by the applicant at time of scrutiny of Documents or later stage is found to be forged/fake. Allotment/candidature/admission of child shall be cancelled if variation is found in details filled in online application and documents submitted at time of scrutiny of Documents/admission. There is no provision for change in data submitted by Parents/Legal guardian at the time of application, so request for change cannot be considered.

j. Following documents are required at the time of scrutiny of Documents/admission: -

(1) Two Print out of the application filled.
(2) Two Copy school allotment slip.
(3) Two photographs of the candidate.
(4) Two Copy of Aadhar Card of Child (Not mandatory).
(5) Two Copy of Aadhar Card of Parents/Legal Guardian.
(6) Two Self attested copy of legal guardianship (if applicable).
(7) Two Self Attested photocopy of proof of date of birth.
(8) Two Self Attested photocopy of Residential Proof.
(9) Two Self Attested copy of Valid Income Certificate/Ration card/Food Security Card holder.
(10) SLC or copy of marksheet of previous academic year showing the student being admitted in some other school.

The parents/guardians shall also keep the original documents with themselves for verification of documents.

k. Regarding Age Limit.

In continuation of corrigendum No. DE.15(298)/PSB/2019/1701-1707 dated 15/02/2019 regarding age criteria for admission under EWS/Freeship category from class 2nd onwards against available seats in Private Unaided Recognized Schools of Delhi for session 2025-26.

Class	Age Limit as on 31.03.2025
IInd	The age of child should be 6+ but less than 7 years
IIIrd	The age of child should be 7+but less than 8 years
IVth	The age of child should be 8+ but less than 9 years
Vth	The age of child should be 9+but less than 10 years
VIth	The age of child should be 10+but less than 11 years
VIIth	The age of child should be 11+ but less than 12 years
VIIIth	The age of child should be 12+ but less than 13 years
IXth	The age of child should be 13+ but less than 14 years

l. The school once allotted to the applicant through the Computerized draw of lots shall not be changed under any circumstances.

m. The 29 zonal teams under DDE Districts of directorate of education will scrutinize all the documents of all the successful candidates immediately after the computerized draw of lots. For this a dedicated Helpdesk, Single Window display of all documents will be setup in district offices where all required documents will be displayed prominently.

n. Further, the order passed by the sub-committee of Zone/DAMC as applicable, shall be final and binding upon Private Unaided Recognized Schools to grant admission to the recommended candidate. The candidate will not be subjected to any further scrutiny apart from what was done by the subcommittee of the zone. If any school violates these guidelines, action, as deem fit, in accordance with the extant rules and provision of RTE Act 2009 & DSEAR Act, 1973 will be initiated against such schools.

o. Regarding prohibition of demand of Capitation Fee/Donation at the time of admission.

Capitation fee means any kind of donation or contribution or payment other than the fee notified by the school" As per the order of Hon'ble High Court in LPA 196/2004 in the matter of Rakesh Goyal vs. Mont Fort School and section 13(1) of RTE Act, 2009 no school or person shall, while admitting a child, collect any Capitation fee. Donation from the parents. Any school or person who contravenes this provision and receive Capitation fee shall be punishable fine which may extent to 10 times the Capitation charged.

p. In addition to the above, for any grievance relating to admission process in EWS/freeship in the Private Unaided Recognized Schools of DoE, complaints or queries may be raised at helpline number 9818154069 (between 10.00 AM to 5.00 PM on all working days, Monday to Friday).

All the above directions are issued for strict compliance by all concerned and non- compliance shall be viewed seriously.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

10/9/25

(SUSHITHA BIJU)
DY. DIRECTOR (EDUCATION)

F.DE.15(379)/PSB/EWS/2nd Onwards/2025/ 8250-8258 **Dated:** 10/09/25

Copy to: -

1. OSD to Hon'ble Chief Minister, Delhi.
2. OSD to Hon'ble Minister of Education, Delhi.
3. PPS to Secretary (Education), Directorate of Education, GNCTD.
4. PPS to Director (Education), Directorate of Education, GNCTD.
5. PS to Addl. Director (Education), Directorate of Education, GNCTD.
6. All Regional Director of Education, Directorate of Education, GNCTD.
7. All DDEs districts for necessary compliance.
8. All Private Unaided Recognized Schools of Delhi running on land allotted by DDA/ Govt. allotted land (except minority).
9. In charge (computer cell) with the request to upload the Circular in the public circular section on official website of this Directorate i.e. www.edudel.nic.in.
10. GuardFile.

10/9/25

(SUSHITHA BIJU)
DY. DIRECTOR (EDUCATION)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा (पीएसबी)

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

फ़ाइल संख्या: F.DE.15(379)/PSB/EWS/2nd Onwards/2025/ 8250 - 8258 **दिनांक:** 10/09/25

परिपत्र

विषय: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डीडीए/सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे दिल्ली के निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों पर दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दिशानिर्देश।

1. अधिसूचना संख्या No.F.15(172)/DE/Act-I/2010/20109-20123 दिनांक 30/12/2013 के खंड 3 ए के अनुसार, सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल भी प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी / केजी और कक्षा-1) से ऊपर की अन्य कक्षाओं में किए गए सभी नए प्रवेशों में 20% की सीमा तक पड़ोस के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उसी तरह प्रवेश देंगे जैसा कि इस निदेशालय की अधिसूचना संख्या 15/(172)/DE/ACT/2010/69 दिनांक 07/01/2011 में प्रदान किया गया है।

2. WPC संख्या 4607 जिसका शीर्षक है ""जस्टिस फॉर ऑल बनाम शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के केस में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उपलब्ध सीटें भरी जाएँगी और विभाग ने भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की रिक्त सीटों को भरने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए अपनी सहमति भी दी है।

3. निदेशालय की दिनांक 23/07/2018 की अधिसूचना के अनुपालन में, शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी भूमि पर संचालित निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 2 से आगे की उपलब्ध सीटों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करके और कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ द्वारा चयन करके ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। आवेदक निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए होम पेज पर "ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप एडमिशन" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

4. उक्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए कार्यक्रम और निर्देश निम्नानुसार हैं: -

संभावित कार्यक्रम

ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को खोलना	**11/09/2025** (गुरुवार)
ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**22/09/2025** (सोमवार)
ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ की संभावित तिथि	**24/09/2025 (बुधवार)**

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश/दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(क) एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकेगा। आवेदन/प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार केवल उसी फ़ोन नंबर के माध्यम से किए जाएँगे।

(ख) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदक को एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा। किसी भी चरण में एक से अधिक / डुप्लिकेट आवेदन पाए जाने पर, प्रवेश के लिए लॉटरी में सफल होने के बाद भी, बच्चे की उम्मीदवारी / प्रवेश रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, निदेशक (शिक्षा) द्वारा जारी दिनांक 04.10.2023 के परिपत्र के अनुसार, दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS/फ्रीशिप के अंतर्गत कक्षा 2 से आगे के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करते समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक का आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि आवेदनों के दोहराव से बचा जा सके। हालाँकि, EWS/फ्रीशिप श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।

(ग) कोई भी बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर प्रवेश या ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप योजना के अंतर्गत दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए केवल एकमुश्त लाभ प्राप्त कर सकता है। आदेश संख्या DE.15(1025)/PSB/2023/Pt file/7706-7711 दिनांक 01.09.23 के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत पहले से ही प्रवेश प्राप्त कोई बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता।

(घ) विद्यार्थी/आवेदक के विवरण में सुधार का विकल्प केवल आवेदक/अभिभावक के पास ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध है, जैसा कि परिपत्र में ऊपर

उल्लेख किया गया है। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण सही हैं। यदि अभिभावक किसी भी जानकारी में परिवर्तन/सुधार करना चाहते हैं, तो वे आवेदन पत्र को हटा सकते हैं और सही विवरण के साथ पुनः जमा कर सकते हैं।

(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): - "आय प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होना चाहिए।" आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि या आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन/रसीद ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत अपने बच्चे के प्रवेश हेतु इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

(च) दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण हो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा जारी अपेक्षित आय प्रमाण पत्र हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जारी राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक हो, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत अपने बच्चे के प्रवेश के लिए इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने के लिए पात्र है।

(छ) उपर्युक्त विस्तृत दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों का आवंटन अभिभावकों द्वारा विशिष्ट आवासीय पते के आधार पर ऑनलाइन भरे गए विद्यालय विकल्पों में से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। हालाँकि, यदि प्रवेश के समय आवासीय पते के दस्तावेज़ों में ऑनलाइन भरे गए आवासीय पते से कोई भिन्नता पाई जाती है, तो विद्यालय आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

(ज) कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से सीट आवंटन के लिए आवासीय पता मुख्य मानदंड है। हालाँकि, यह देखा गया है कि माता-पिता/अभिभावक अपने पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जानबूझकर गलत इलाका/उप-इलाका/उप-उप-इलाका चुनकर हेरफेर करते हैं। इसलिए, आवासीय पते (अर्थात, इलाका/उप-इलाका/उप-उप-इलाका) से संबंधित विवरण भरने के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: -

आवासीय पता	
इलाका	क्षेत्र
उप-स्थान	गाँव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ब्लॉक/गली आदि।
उप-उप इलाका	

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए बच्चे के आवासीय पते के संबंध में गलत जानकारी भरी गई है, तो बच्चे का आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(झ) यदि दस्तावेजों की जाँच के समय या बाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जाली/नकली पाए जाते हैं, तो बच्चे का प्रवेश/आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और दस्तावेजों/प्रवेश की जाँच के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है, तो बच्चे का आवंटन/उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।

(ञ) दस्तावेजों/प्रवेश की जाँच के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: -

(1) भरे गए आवेदन के दो प्रिंट आउट।
(2) विद्यालय आवंटन पर्ची की दो प्रतियाँ।
(3) अभ्यर्थी के दो फोटो।
(4) बच्चे के आधार कार्ड की दो प्रतियाँ (अनिवार्य नहीं)।
(5) माता-पिता/कानूनी अभिभावक के आधार कार्ड की दो प्रतियाँ।
(6) कानूनी संरक्षकता की दो स्व-सत्यापित प्रतियाँ (यदि लागू हो)।
(7) जन्म तिथि के प्रमाण की दो स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
(8) आवासीय प्रमाण की दो स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
(9) वैध आय प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक की दो स्व-सत्यापित प्रति।
(10) एसएलसी (SLC) या पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट की प्रति जो दर्शाती हो कि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रवेशित है।

माता-पिता/संरक्षक को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज भी अपने पास रखना होगा।

(ट) आयु सीमा के संबंध में।

सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर कक्षा 2 से आगे ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आयु मानदंड के संबंध में शुद्धिपत्र संख्या DE.15(298)/PSB/2019/1701-1707 दिनांक 15/02/2019 के क्रम में-

कक्षा	आयु सीमा 31.03.2025 तक
दूसरी	बच्चे की आयु 6+ लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए
तीसरी	बच्चे की आयु 7+ लेकिन 8 वर्ष से कम होनी चाहिए
चौथी	बच्चे की आयु 8+ लेकिन 9 वर्ष से कम होनी चाहिए
पाँचवीं	बच्चे की आयु 9+ लेकिन 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
छठी	बच्चे की आयु 10+ लेकिन 11 वर्ष से कम होनी चाहिए
सातवीं	बच्चे की आयु 11+ लेकिन 12 वर्ष से कम होनी चाहिए
आठवीं	बच्चे की आयु 12+ लेकिन 13 वर्ष से कम होनी चाहिए
नौवीं	बच्चे की आयु 13+ लेकिन 14 वर्ष से कम होनी चाहिए

(ठ) कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आवेदक को एक बार आवंटित स्कूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

(ड) शिक्षा निदेशालय के सभी जिला DDEs के अंतर्गत 29 क्षेत्रीय टीमें कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के तुरंत बाद सभी सफल उम्मीदवारों के सभी दस्तावेजों की जाँच करेंगी। इसके लिए, जिला कार्यालयों में एक समर्पित हेल्पडेस्क और सभी दस्तावेजों की एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जहाँ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएँगे।

(ढ) इसके अलावा, Zone/DAMC की उप-समिति द्वारा पारित आदेश, जैसा भी लागू हो, अंतिम होगा और अनुशंसित उम्मीदवार को प्रवेश देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर बाध्यकारी होगा। ज़ोन की उप-समिति द्वारा की गई जाँच के अलावा, उम्मीदवार की किसी और जाँच से कोई लेना-देना नहीं होगा। यदि कोई स्कूल इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे स्कूलों के विरुद्ध, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और डीएसईएआर अधिनियम, 1973 के मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार, उचित समझे जाने पर, कार्रवाई की जाएगी।

(ण) प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क/दान की माँग पर रोक लगाने के संबंध में।

कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या योगदान या भुगतान। राकेश गोयल बनाम मोंट फोर्ट स्कूल के मामले में LPA 196/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 (1) के अनुसार, कोई भी स्कूल या व्यक्ति, बच्चे को दाखिला देते समय, माता-पिता या अभिभावकों से कोई कैपिटेशन शुल्क अथवा दान नहीं लेगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है, उस पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा जो कि ली गई कैपिटेशन राशि का 10 गुना तक हो सकता है।

(त) उपरोक्त के अतिरिक्त, शिक्षा निदेशालय के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, हेल्पलाइन नंबर 9818154069 (सोमवार से शुक्रवार, सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच) पर शिकायत या प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

उपरोक्त सभी निर्देश सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं तथा अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

10/9/25

(सुशिता बीजू)
उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)

फ़ाइल संख्या: F.DE.15(379)/PSB/EWS/2nd Onwards/2025/ 8250-8258 **दिनांक:** 10/09/25

प्रतिलिपि

1. माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी
2. माननीय शिक्षा मंत्री, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी
3. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पीपीएस
4. निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पीपीएस
5. अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निजी सचिव
6. सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
7. सभी जिला DDEs को आवश्यक अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया।
8. दिल्ली के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल जो DDA द्वारा आवंटित भूमि/सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे हैं (अल्पसंख्यक को छोड़कर)।
9. प्रभारी (कम्प्यूटर सेल) को इस निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.edudel.nic.in. पर सार्वजनिक परिपत्र अनुभाग में परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
10. गार्ड फ़ाइल

10/9/25

(सुशिता बीजू)
उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)